देश

उवाच

'रम्बूलेंस चालकों का निजी अस्पतालों के साथ गुप्त समझौता होता है और वे सभी दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों में ले जाते हैं।' ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं। एक बार जब उन्हें निजी अस्पतालों में ले जाया जाता है, तो मरीजों को भारी बिल चुकाना पड़ता है, जबकि उन्हें सरकारी अस्पताल में बहुत कम कीमत पर इलाज मिल सकता था:- **डीके शिवकुमार, डिप्टी सीएम कर्नाटक**

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली	25.1	12.6
मुंबई	31.5	19.7
कोलकाता	30.0	20.8
चेन्नई	28.4	22.9

समृद्धि के लिए देश की सीमाओं के साथ आंतरिक सुरक्षा जरूरी: मुर्मु

■ 'शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए देश की सीमाओं और उसकी आंतरिक सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हम 'वसुधैव कुटुंबकम' की परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन हमारी सेनाएं उन बाहरी या आंतरिक ताकतों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं :- द्रौपदी मुर्मु

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेंसियां)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज कहा कि शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए देश की सीमाओं और उसकी आंतरिक सुरक्षा बहुत आवश्यक है। श्रीमती मुर्मु ने पुणे के खड़कवासला में गुरुवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के 145वें कोर्स की दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने सेना की 5वीं बटालियन के भवन की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा, 'शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए देश की सीमाओं और उसकी आंतरिक सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हम 'वसुधैव कुटुंबकम' की परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन हमारी सेनाएं उन बाहरी या आंतरिक ताकतों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं जो देश की एकता और अखंडता की भावना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं।'

राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीए नेतृत्व का एक ऐसा उद्गम स्थल है जिसने महान योद्धाओं को जन्म दिया है। वह अकादमी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में भी विशिष्ट स्थान रखती है और इसकी सशस्त्र बलों के लिए देश के एक मजबूत स्तंभ के रूप में मान्यता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए से प्राप्त प्रशिक्षण और जीवन मूल्य कैडेटों को अपने जीवन में आगे बढ़ने में हमेशा सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कैडेटों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को सीखकर और उन्हें अपनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए से सशस्त्र सेवाओं के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए पूरे साहस और बहादुरी के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे।

राष्ट्रपति एनडीए की पासिंग आउट परेड के मार्चिंग दस्ते में महिला कैडेटों की पहली बार भागीदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी महिला कैडेट भविष्य में देश और उनोंही को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।

सीएम सिद्दारमैया बोले, बेंगलुरु में 188 और इंदिरा कैंटीन खुलेंगी

लोगों के फायदे के लिए इस वर्ष बेंगलुरु में 188 अतिरिक्त इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी। इंदिरा कैंटीन सरकार द्वारा संचालित कैंटीन हैं और लोगों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराती हैं:- सिद्दारमैया, मुख्यमंत्री कर्नाटक

बेंगलुरु, 30 नवम्बर (एजेंसियां)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि लोगों के फायदे के लिए इस वर्ष बेंगलुरु में 188 अतिरिक्त इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी। इंदिरा कैंटीन सरकार द्वारा संचालित कैंटीन हैं और लोगों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराती हैं। सीएम ने यह जानकारी गुरुवार को विधान भवन परिसर में संत कनकदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए दी।

इस दौरान इंदिरा कैंटीन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि बेंगलुरु के 225 वार्डों में इंदिरा कैंटीन शुरू की जाएगी। इसके अलावा जहां जरूरी होगा, वहां कैंटीन शुरू की जाएगी। जहां इंदिरा कैंटीन के लिए जगह की कमी है, वहां मोबाइल कैंटीन स्थापित की जाएगी। सीएम ने कहा कि कनकदास एक समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से मानवता का उपदेश दिया। वह एक सार्वभौमिक व्यक्ति थे जिन्होंने भेदभाव रहित समतामूलक समाज के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने रामभव्य चरित, मोहनतरंगिणी सहित कई कृतियों की रचना की। गुरुवार को सरकार कनकदास की जयंती मना रही है, जिन्होंने समाज में भेदभाव खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने साहित्य के माध्यम से लोगों को अपने आदर्शों से अवगत कराया। उन्होंने अपने दास साहित्य की रचना सरल भाषा में की ताकि लोग समझ सकें। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को कनकदास जयंती की शुभकामनाएं दीं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से कहा: पुराने, गंदे कपड़े पहनकर आने वालों के साथ मानवीय व्यवहार करें

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने गुरुवार को डॉक्टरों से उन गरीब लोगों का मानवता के साथ इलाज करने का आह्वान किया, जो जर्क्स पास पुराने और गंदे कपड़ों में आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना भेदभाव के अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कर्नाटक विधान सौध की सीढ़ियों पर आयोजित एक कार्यक्रम में 262 अत्याधुनिक एम्बुलेंस को सार्वजनिक सेवा में समर्पित करने के बाद बोल रहे थे। सिद्दारमैया ने कहा कि यह देखा सरकार का लक्ष्य है कि बेंगलुरु के विश्व स्तरीय जयदेव अस्पताल में प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सभी सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सेवा में आपातकालीन एम्बुलेंस को जोड़ा गया है ताकि इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 840 से अधिक एम्बुलेंस की आवश्यकता है और प्रत्येक तालुक में चार एम्बुलेंस काम कर रही हैं और हर दिन सैकड़ों लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक आपातकालीन उपचार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिद्दारमैया ने कहा कि हर जिले में एम्बुलांसई स्टेशनों की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों में सेवाओं की उच्च लागत के कारण गरीबों को कभी कभार ही

राजस्थान के सीएम का दावा, कांग्रेस सभी पांच राज्यों में सरकार बनाएगी

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेंसियां)। एग्जिट पोल से पहले गुरुवार शाम को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस उन सभी पांच राज्यों में सरकार बनाएगी जहां इस महीने चुनाव हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पोल पंडितों के मुताबिक मिजोरम को 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 7 नवम्बर को हुआ था, जबकि 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए मतदान 17 और 17 नवम्बर को हुआ था। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए मतदान 17 नवम्बर और 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान 25 नवम्बर को हुआ था। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस के लिए दांव ऊंचे हैं क्योंकि वह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्तारूढ़ पार्टी है और दोनों राज्यों में लगातार दूसरे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए है।

मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा, 'कांग्रेस सभी पांच राज्यों में सरकार बनाएगी। मुझे लगता है कि भाजपा पांचों राज्यों में से किसी भी में नहीं जीतेगी।' उन्होंने कहा, 'राजस्थान में, एग्जिट पोल जो भी कहते हैं, और सट्टा बाजार जो भी कहता है, मीडिया जो भी कहता है और आपका सर्वेक्षण जो भी कहता है, मेरा अनुमान कहता है – जैसा कि मैंने पिछले छह महीनों में गांवों और शहरों में लोगों की टिप्पणियां सुनीं -कांग्रेस सरकार बनाएगी।'

महिलाओं की 13,000 अश्लील तस्वीरें रखने के आरोप में बेंगलुरु से बीपीओ कर्मचारी गिरफ्तार

बेंगलुरु। महिलाओं की 13,000 अश्लील तस्वीरें रखने और उन्हें अपनी महिला सहकर्मियों के चेहरे के साथ फोटोशॉप करने के आरोप में बेंगलुरु से 25 वर्षीय बीपीओ कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उसने कबूल किया है कि उसे ऐसा

MOTILAL OSWAL HOME LOANS

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टावर, पहिला मंजिल, सात रस्ता किनारे के सामने, एक्सटेंशन, मुम्बई 400 025, फोन : (022) 47184000
वेबसाइट : www.motilaloswalhf.com, ई-मेल : hfquery@motilaloswal.com

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के प्रावधानों के तहत

आतंककवादियों ने मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (एमओएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में उक्त अधिनियम के तहत और उक्त अधिनियम की धारा 13(12) की सपठित उक्त नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) में अंकित मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) के समक्षित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशियां उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने को कहा की गई थी। आतंककवादी का यह मानना है कि कर्जदार मांग सूचना(ओं) प्राप्त करने के बाद गयी हैं, इसलिए सूचना निम्नों के अनुसार लगाए करने और प्रकाशन के माध्यम से दी जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विस्तृतवृत्त का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	ऋण अनुबंध सं./कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों) का नाम/सं. आवेदन का नाम/ शाखा का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	अचल सम्पत्ति का वर्णन
1	LXDU00001 1830944741/ विनयकुमार जगदीश राय चौहान/ जितेंद्र कुमार आरावरण चौहान	06-11-2023/ रु. 8,35,738/ (रुपए आठ लाख पैंतीस हजार सात सौ अड़तीस मात्र)	केंद्रीय नंबर 334/1, पीएच नंबर 24, मौजा-मोहल्ला, वार्ड-नंबर-01, जोन जगदेव पंचायत और ओवरलैप, हल्का-नंबर-01, तहसील-दुर्ग, जिला-दुर्ग 491441
2	LXDU00018 1860071431/ शुभम कुमार कोर्रेय/ अशोक कुमार पटेल/ सुशील प्रकाश सेवेता	10-11-2023/ रु. 3,31,854/ (रुपए तीन लाख इकतीस हजार आठ सौ चौवन मात्र)	केंद्रीय नंबर 160/10, पीएच नंबर 47, सेक्टर्स वार्ड नंबर 7, ग्राम बिलाई, तहसील एवं जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़-491441

कर्जदार(रों) को एतद्द्वारा मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करने और उपरोक्त तथा यहां अंकित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है। कर्जदार(रों) को दिए गए पीछे, गुणवत्ता की जिसे उक्त तथा, मांग, अतिरिक्त ब्याज, संबंध प्रभार, लागत और खर्चों सहित करने की सलाह दी जाती है। कर्जदार(रों) यहां की एमओएचएफएल एक प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा कर्जदार(रों) द्वारा संपत्ति रखी गई प्रतिभूत आस्ति(यों) के रूप में अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के संबंध में एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि उक्त कर्जदार एमओएचएफएल को उपरोक्तानुसार भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में असफल रहेंगे, तो एमओएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत मांगी अधिकारों का प्रयोग करने और प्रतिभूत आस्ति(यों) का कब्जा लेने की हकदार होगी, जिसमें प्रस्तावों किसी द्वारा हस्तांतरित करने अथवा अधिनियम और उसके नियमों के तहत पहले कब्जा लेना करने और स्थानांतरण करने और स्थानांतरण सम्मिलित है, जो केवल सांकेतिक नहीं है। एमओएचएफएल को किसी भी हस्तांतरण के अधिकार प्रदान में पूर्व प्रतिभूत आस्ति(यों) को बेचने तथा/अथवा सौंप करने का भी अधिकार है। प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री के बाद, एमओएचएफएल के कब्जाए संपत्तियों की बकाया के लिए उक्त कानूनी कार्यवाही आरंभ करने का भी अधिकार है, यदि शेष सम्पत्तियों की बिक्री से एमओएचएफएल को बकाया राशि की पूरी वसूली नहीं हो सकी है। यह उपरा एमओएचएफएल की किसी अन्य कानूनी या साथ उपलब्ध सभी अन्य उपायों को आगे और अतिरिक्त है।

कर्जदार(रों) का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियां सुधारने हेतु समय्यक समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) की ओर खींचा जाता अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा कर्जदार(रों) पर एमओएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत आस्ति(यों) बिक्री, पट्टा या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करने प्रतिबंध लगाया गया है।

कर्जदार(रों) का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियां सुधारने हेतु समय्यक समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) की ओर खींचा जाता अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा कर्जदार(रों) पर एमओएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत आस्ति(यों) बिक्री, पट्टा या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करने प्रतिबंध लगाया गया है।

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 01-12-2023
अनुमत में पूरा का विवरणों होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
(मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)

जाति जनगणना पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा - मेरी लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, युवा, महिलाएं और किसान

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं और इन चार जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान उन्हें संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा, 'विकसित भारत का संकल्प- 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। ये अमृत स्तंभ हैं - हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है- गरीब। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है- युवा। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है- महिलाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है- किसान। इन चार जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। जब तक इन चारों जातियों को मैं सशक्त नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक इन चार जातियों का उत्थान नहीं होगा तो निश्चित तौर पर देश की सभी जातियां सशक्त होंगी।' प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के लोगों ने वह दौर भी देखा है, जब पहले की सरकारें खुद को जनता का माई बाप समझती थी। इस कारण आजादी के अनेक दशकों बाद तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित रही। लोग सरकार से पूरी तरह हताश और निराश हो गए थे। उस समय सरकारों भी सिर्फ चुनाव और वोट बैंक पर ही ध्यान रखती थी।

मतदान के दिन नागार्जुन सागर में तनाव एक साजिश: रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, 30 नवम्बर (एजेंसियां)। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच नागार्जुन सागर बांध पर तनावपूर्ण स्थिति को राज्य सरकार की साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि के. चंद्रशेखर राव का ये हताश प्रयास कामयाब नहीं होगा। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से इस तरह के बहकावे में न आने की अपील की और वादा किया कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सभी अंतरराज्यीय विवादों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस नेता तेलंगाना के अधिकारियों द्वारा आंध्र प्रदेश को पानी छोड़ने के लिए बांध के दरवाजे खोलने से रोकने के बाद दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच तनाव की खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने मांग की कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरकार उनके अधीन काम कर रही है।

ICICI Home Finance

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस
कार्यालय कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एक्सचेंज टावर, अंधेरी – कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, इंदिरा टावर, ए-26, जोन-11, नेन रोड, नवापारा विहार, बिलासपुर (सी.जी.) 495001

सेक्शन 8 (6) का परंतुक देखें,
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास संधारक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, 'जैसी है जहां है', 'जैसी है जो भी है' तथा 'जो भी है वहां है' आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी :

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बन्धकी दारियों का नाम ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभार सहित, यदि कोई	बकाया राशि	सुरक्षित मूल्य / धरोहर राशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	छोटेराम देवांगन (कर्जदार), प्रभा देवांगन (सह-कर्जदार), ऋण खाता संख्या एलएचबीएचआर00000133005	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति परिवर्तित भूमि शीट नंबर 31, प्लॉट नंबर 10, राजस्व वार्ड नंबर 1104/3, मौजा तिल्दा, पटवारी सर्किल नंबर 31/53, ग्राम पंचायत होल की सीमांतर्गत, आबादी सर्विस कॉलोनी, सर्वे, तहसील तिल्दानुवा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	रु. 20,95,579/- 17-11-2023	रु. 17,22,263/- रु. 1,72,230/-	11-12-2023 को अपा. 2.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	19-12-2023 को अपा. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक
2.	युध्दजित सिंह सधु (कर्जदार), कुलदीप बाई सधु (सह-कर्जदार), ऋण खाता संख्या एलएचबीएचआर00001299525	ग्राम कुंजा वार्ड नंबर 19, आदर्श नगर, कुनकुरी, तहसील पाटन दुर्ग, पटवार सर्किल नंबर 50/10, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001	रु. 29,49,806/- 23-11-2023	रु. 19,13,444/- रु. 1,91,390/-	11-12-2023 को अपा. 2.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	19-12-2023 को अपा. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक
3.	हंसराज चन्द दुबे (कर्जदार), गायत्री दुबे (सह-कर्जदार), ऋण खाता संख्या एलएचबीएचआर00001448415 एवं एलएचबीएचआर00001448416	मौजा बोटी पीएच नंबर 1 केएच नंबर 528/2 घटी, वार्ड नंबर 2, परिसंकल्प शुल्का वार्ड, नगर पंचायत बोटी, तहसील और जिला बिलासपुर सीजी, बिलासपुर 528/2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001	रु. 29,79,579/- 23-11-2023	रु. 24,05,700/- रु. 2,40,570/-	11-12-2023 को अपा. 2.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	19-12-2023 को अपा. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी प्लेटेक टेक की वेबसाइट (weblink **https://BestAuctionDeal.com**) पर सम्पन्न होगी। संपत्तियों/सुरक्षाओं की 18-12-2023 को अप. 5.00 बजे से पूर्व कुल बकाया उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। संभावित बिक्ट (बिडरों) को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/बिमांक ड्राफ्ट (डीडी) (कालम ई देखें) आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, डीसीए फाइनेंस, यूनिट-एक, द्वितीय तल, निकट स्वस्थ टॉकीज, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001 में 18-12-2023 को अपरा पूर्व अप. 04.00 बजे से पहले जमा करनी होगी। संभावित बिक्ट (बिडरों) को पंजीकरण प्रपत्र एवं बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, डीसीए फाइनेंस, यूनिट-एक, द्वितीय तल, निकट स्वस्थ टॉकीज, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001 में 18-12-2023 को अपरा पूर्व अप. 04.00 बजे से पहले जमा करनी होगी। सफल बिक्ट (बिडर) को पंजीकरण प्रपत्र एवं बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, डीसीए फाइनेंस, यूनिट-एक, द्वितीय तल, निकट स्वस्थ टॉकीज, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001 में 18-12-2023 को अपरा पूर्व अप. 05.00 बजे से पहले जमा करनी होगी। सफल बिक्ट (बिडर) को बिक्री राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) भुगतान करना होगा जिसमें से जमा धरोहर राशि घटाई जाएगी। शेष राशि 15 दिनों के भीतर जमा की जानी है। सफल बिक्ट (बिडर) को अतिरिक्त शुल्क, कर, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान करना होगा। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया देखें : https://www.icicihfc.com/

तिथि : 01-12-2023
स्थान : बिलासपुर, दुर्ग

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

ICICI Home Finance

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस
कार्यालय कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एक्सचेंज टावर, अंधेरी – कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, इंदिरा टावर, ए-26, जोन-11, नेन रोड, नवापारा विहार, बिलासपुर (सी.जी.) 495001

सेक्शन 8 (6) का परंतुक देखें,
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास संधारक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, 'जैसी है जहां है', 'जैसी है जो भी है' तथा 'जो भी है वहां है' आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी :

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बन्धकी दारियों का नाम ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभार सहित, यदि कोई	बकाया राशि	सुरक्षित मूल्य / धरोहर राशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	साबुन प्रसाद (कर्जदार), सिलेश्वरी देवी (सह-कर्जदार), ऋण खाता संख्या एलएचबीएचआर00000834012	अपार्टमेंट नंबर मकान एलआईजी 83, भू. तल, खसरा नंबर 201, कुम्हारी, जिला दुर्ग, मध्य प्रदेश	रु. 18,89,296/- 23-11-2023	रु. 7,10,848/- रु. 71010/-	11-12-2023 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	19-12-2023 को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक
2.	रमेश पटेरी (कर्जदार), किरणी पटेरी (सह-कर्जदार), ऋण खाता संख्या एलएचबीएचआर00001294810	63 एलआईजी फ्लैट नंबर 63 पीएचएच 115, खसरा नंबर 6 का भाग, भाटिया नंबर 03, पुर्वाई वार्ड, तहसील बोर्ड कालोनी, भू.स.नगरपालिका रायपुर, रायपुर-492001,	रु. 28,29,515/- 23-11-2023	रु. 16,94,925/- रु. 1,69,500/-	11-12-2023 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	19-12-2023 को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी प्लेटेक टेक की वेबसाइट (वेबसाइट लिंक – **https://BestAuctionDeal.com**) पर सम्पन्न होगी। संपत्तियों/सुरक्षाओं की 18-12-2023 को अप. 5.00 बजे से पूर्व कुल बकाया उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। संभावित बिक्ट (बिडरों) को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/बिमांक ड्राफ्ट (डीडी) (कालम ई देखें) आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, डीसीए फाइनेंस, यूनिट-एक, द्वितीय तल, निकट स्वस्थ टॉकीज, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001 में 18-12-2023 को अपरा पूर्व अप. 04.00 बजे से पहले जमा करनी होगी। संभावित बिक्ट (बिडरों) को पंजीकरण प्रपत्र एवं बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, डीसीए फाइनेंस, यूनिट-एक, द्वितीय तल, निकट स्वस्थ टॉकीज, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001 में 18-12-2023 को अपरा पूर्व अप. 04.00 बजे से पहले जमा करनी होगी। सफल बिक्ट (बिडर) को पंजीकरण प्रपत्र एवं बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, डीसीए फाइनेंस, यूनिट-एक, द्वितीय तल, निकट स्वस्थ टॉकीज, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001 में 18-12-2023 को अपरा पूर्व अप. 05.00 बजे से पहले जमा करनी होगी। सफल बिक्ट (बिडर) को बिक्री राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) भुगतान करना होगा जिसमें से जमा धरोहर राशि घटाई जाएगी। शेष राशि 15 दिनों के भीतर जमा की जानी है। सफल बिक्ट (बिडर) को अतिरिक्त शुल्क, कर, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान करना होगा। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया देखें : https://www.icicihfc.com/

तिथि : 01-12-2023
स्थान : दुर्ग, रायपुर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., ऑरेंज बिल्डिंग, बाजार रोड, 2ब्लॉक, एलीटी बीच रोड, कोलकाता-700001 (पश्चिम बंगाल), टेलीफोन : 1800102660/18002662660, www.icicibank.com/Personal-Banking

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/ों ने आईसीआईसीआई बैंक से ऋण की जो सुविधाएं ली थीं, जिसके एवज में किए गए भुगतान में चूक की है और वे ऋण अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इसलिये, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार उनके कर्जदारों को मांग सूचनाएं जारी की गई थीं, जिसे उनकी जानकारी के लिए उनके अंतिम ज्ञात पते पर भेजा गया था। लेकिन, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा